प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 934/1993

वाहीद

- बनाम-

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु प्रस्तुत

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मै सहमत हूं।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक 04.03.2011 को सूचीबद्घ करें।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 934/1993

अपीलार्थी : वाहीद, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता शब्बीर हुसैन, निवासी बंधवापारा, पुलिस थाना सरकंडा, तहसील एवं जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से श्री वी.सी. ओट्टलवार, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।

निर्णय

(04.03.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया—

(1) यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 379/91 में सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1993 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 376 एवं 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे धारा 376 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, साथ ही दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतका— कुंतीबाई, रविंद्र कुमार (अ.सा.-12) की पत्नी थी। वे मोहल्ला बांधवापारा, सरकंडा, बिलासपुर स्थित एक मकान में निवास करते थे। अपीलार्थी उनका पड़ोसी था। दिनांक 15.2.1991 को प्रातः लगभग 5.15 बजे रविंद्र कुमार (अ.सा.-12) ने थाना सरकंडा में एक लिखित रिपोर्ट (प्र.पी./12) दर्ज कराई कि दिनांक 14.2.1991 को रात्रि लगभग 10.30 बजे, जब मृतका घर में अकेली थी, तब अपीलार्थी उनके घर में घुस आया और मृतका के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किए। यह घटना उसने स्वयं देखी। उन्होंने उक्त कृत्य की शिकायत अपीलार्थी की भाभी से की थी, किंतु उस घटना की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। प्रातः लगभग 4.30 बजे उसने शोर सुना कि अपीलार्थी के घर के बरामदे में कोई जल रहा है। चतरपाल (अ.सा.-1), गोपीराम चंद्रा (अ.सा.-3), हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4), रामदुलारे

(अ.सा.-9) तथा घनाराम (अ.सा.-10) सहित अनेक लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वह उसकी पत्नी कुंतीबाई (अब मृत) थी। लोगों ने पूछा कि यह कैसे हुआ, जिस पर कुंतीबाई ने बताया कि अपीलार्थी ने उसे आग लगा दी। सहायक उप निरीक्षक इंद्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने मृतका को जली हुई अवस्था में देखा। प्रातः 5.30 बजे उन्होंने मृतका का मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी./5) दर्ज किया। मृतका ने बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग कारित किया तथा उसके शरीर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। इसके पश्चात सहायक उप निरीक्षक द्वारा मृतका के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु एक आवेदन (प्र.पी./8) तैयार किया गया और मृतका को शासकीय चिकित्सालय, बिलासपुर भेजा गया। प्रातः लगभग 6.30 बजे डॉ. (श्रीमती) अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) द्वारा मृतका का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि मृतका के पूरे शरीर पर जलने की चोटें थीं; शरीर से केरोसिन की गंध आ रही थी; कुछ स्थानों पर फफोले थे; शरीर के कुछ भागों की त्वचा उखड़ी हुई थी; तथा जलने के घावों का रंग काला था। कुछ स्थानों पर जलन सतही थी और कुछ स्थानों पर गहरी थी। परीक्षण के समय मृतका चेतन अवस्था में थी, सामान्य रूप से बोल रही थी तथा प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। शरीर में अकड़न एवं जलने की चोटों के कारण रक्तचाप एवं नाड़ी दर्ज नहीं की जा सकी। यद्यपि उसे लगभग 95% तक जलने की चोटें थीं, फिर भी प्रातः 6.30 बजे परीक्षण के समय वह कथन देने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की स्थिति में थी। चोट का मुलाहिजा प्रतिवेदन प्र.पी./8-क है। दिनांक 15.2.1991 को मृतका के निजी अंगों की आगे के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु एक अन्य मांग पत्र (प्र.पी./9) भेजा गया। दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण भी डॉ. (श्रीमती) अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) द्वारा प्रातः लगभग 11.15 बजे किया गया । उन्होंने उल्लेख किया कि मृतका विवाहित महिला थी; उसके दो बच्चे थे; अंतिम बच्चा लगभग 2 वर्ष पूर्व जन्मा था; तथा उसकी अंतिम माहवारी 2 फरवरी को हुई थी। व्यापक जलने की चोटों एवं अंगों में अकड़न के कारण मृतका पी.वी. (आंतरिक) परीक्षण हेतु आवश्यक स्थिति में नहीं थी, अतः निजी अंगों का परीक्षण नहीं हो सका। योनि स्वैब से दो स्लाइड तैयार कर संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दी गईं। दूसरा चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्र.पी./9-क है। मृतका की उपचार के दौरान उसी दिन 15.2.1991 को चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। मर्ग सूचना (प्र.पी./16) दर्ज की गई। पंचों को सूचना (प्र.पी./17) देकर मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा (प्र.पी./18) तैयार किया गया। शव को शव परीक्षण हेतु मांग पत्र प्र.पी./6 के माध्यम से भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. पी.सी. गुप्ता (अ.सा.-6) सहित चिकित्सकों की एक टीम द्वारा किया गया। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकों ने पाया कि पैर की उँगलियों को छोड़कर पूरे शरीर पर जलने की चोटें थीं। शरीर के कुछ भागों पर फफोले उपस्थित थे। ये सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थीं। उन्होंने राय दी कि मृतका की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु जलने की चोटों के कारण उत्पन्न शॉक से हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी./6-क है।

दिनांक 16.2.1991 को अपीलार्थी को भी चिकित्सकीय परीक्षण हेतु मांग पत्र प्र.पी./7 के माध्यम से भेजा गया। उसका परीक्षण डॉ. अभिजीत सेन (अ.सा.-7) द्वारा किया गया। उन्होंने अपीलार्थी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं—

(i) दोनों हाथों की हथेलियों की सतह पर कई फफोले थे, जिनका आकार लगभग ½ इंच × ½ इंच से लेकर 1/4 इंच × 1/4 इंच के बीच था;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) दाहिने अग्र-बाहु के निचले एक-तिहाई भाग में ग्रेड-I जलन थी, जिसका रंग नीलापन लिए लाल था;

(iii) दोनों अग्र-बाहुओं की अग्र की सतह पर 1/8 इंच × 1/8 इंच आकार के कुछ फफोले पाए गए।

जननांग क्षेत्र में किसी प्रकार की चोट के कोई निशान नहीं थे। स्मेग्मा मौजूद नहीं था। वह यौन संबंध स्थापित करने में सक्षम था। चिकित्सक ने यह राय दी कि जलने की चोटें परीक्षण के समय से लगभग 36 घंटे के भीतर (दिनांक 16.2.91 को दोपहर 12:15 बजे) लगी थीं तथा वे खुली आग से हुई थीं। चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र.पी./7-क है।

जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को मेमो प्र.पी./21 के माध्यम से भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट (प्र.पी./22) प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के योनि स्वैब से तैयार स्लाइड्स वस्तु (आर्टिकल-क) में वीर्य तथा मानव शुक्राणु पाए गए।

सामान्य विवेचन पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात् प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को उपार्पित किया। सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने विचारण किया तथा उपर्युक्तानुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) निस्संदेह, मृतका को जलाने की घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके आधार पर सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया:—

(i) मृतका अपीलार्थी के घर के पछीं (बरामदे) में जली हुई अवस्था में पाई गई;

(ii) मृतका ने आस-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों, जिनमें अभियोजन पक्ष के साक्षी भी शामिल हैं, के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया;

(iii) पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित मृत्युपूर्व कथन भी दर्ज किया गया;

(iv) अपीलार्थी के शरीर पर भी जलने की चोटों की उपस्थिति; एवं

(v) मृतका के योनि स्वैब से तैयार स्लाइड्स में वीर्य तथा मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.सी. ओट्टलवार ने तर्क प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायाधीश ने यह मानने में विधि की त्रुटि की है कि मौखिक तथा लिखित मृत्युपूर्व कथन से संबंधित परिस्थितियाँ सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध हो गई हैं; अभियोजन साक्षियों के समक्ष मृतका द्वारा कथित रूप से किया गया मौखिक मृत्युपूर्व कथन सिद्ध नहीं हुआ; लिखित मृत्युपूर्व कथन मनगढ़ंत है और बाद की सोच का परिणाम है; तथा यद्यपि मृतका अपीलार्थी के घर के बरामदे में जली हुई अवस्था में पाई गई, फिर भी यह अपीलार्थी के विरुद्ध दोषारोपणकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुला बरामदा था और कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता था। अपीलार्थी को लगी जलने की चोटों के संबंध में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब मृतका जल रही थी, तब आग की लपटें अपीलार्थी के घर के कुछ हिस्से तक भी पहुँच गई थीं और अपने घर को आग से बचाने के दौरान अपीलार्थी को जलने की चोटें आईं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुरी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) हनुमंत बनाम मध्यप्रदेश राज्य, [एआईआर 1952 एससी 343] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि— "परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटते समय सदैव यह खतरा रहता है कि विधिक प्रमाण के स्थान पर अनुमान या संदेह आ जाए। अतः यह स्मरण रखना उचित है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो, वहाँ जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सर्वप्रथम पूर्णतः सिद्ध किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिस्थितियाँ निष्कर्षात्मक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए कि वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य परिकल्पना को भी सिद्ध कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संभावना न छोड़े और जिससे यह प्रदर्शित हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया।"

(8) तत्पश्चात्, धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [(1994) 2 एससीसी 22] तथा बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, [एआईआर 2002 एससी 3164] सहित अनेक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है—और यह अब लगभग सुस्थापित विधि है—कि दोषसिद्धि को बनाए रखने हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष का अनुमान निकाला जाना है, उन्हें सुस्पष्ट, ठोस एवं दृढ़ रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए;

(ii) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति वाली हों और अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों;

(iii) वे परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से विचार करने पर, ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध कारित अभियुक्त द्वारा ही किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं, इस निष्कर्ष से बचने का कोई मार्ग न रहे, तथा वे अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से स्पष्टीकरण योग्य न हों।

9) अब हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता का परीक्षण करेंगे।

(10) इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मृतका अपीलार्थी के घर के बरामदे में जलती हुई अवस्था में पाई गई थी और यह भी कि अपीलार्थी को भी उपर्युक्तानुसार जलने की चोटें आई थीं। इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव होगा, इस पर आगे विचार किया जाएगा, किंतु उससे पूर्व मौखिक एवं लिखित मृत्युपूर्व कथनों की विश्वसनीयता का मुख्य रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गोपीराम चंद्र (अ.सा.-3) तथा हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यह संदेह से परे सिद्ध हो गया है कि मृतका ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया था, जिसमें उसने कहा था कि अपीलार्थी ने उसके शरीर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। अभियोजन का प्रकरण यह है कि प्रातः लगभग 4 से 4.30 बजे जब मोहल्ले के लोगों ने शोर-शराबा सुना, तो वे अपने-अपने घरों से बाहर निकले और अपीलार्थी के घर के बरामदे में आग देखी। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई और तत्पश्चात् उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त बरामदे में कोई व्यक्ति जल रहा था। आगे पूछताछ करने पर पता चला कि वह मृतका थी, जिसने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने उसके शरीर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी है। गोपीराम चंद्र

(अ.सा.-3) ने कथन दिया कि शोर-शराबा सुनकर वह अपने घर से बाहर आया और अपीलार्थी के घर के बरामदे में आग देखी। कई लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। वह भी वहाँ पहुँचा, अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि एक महिला जली हुई अवस्था में पड़ी थी। बरामदे में, जो एक कमरे जैसा था, दो साइकिलें महिला के दोनों ओर रखी हुई थीं। उसने केरोसिन का एक डिब्बा तथा माचिस भी देखी। कुछ समय बाद वह महिला रोने लगी। एक तांगा चालक ने महिला से पूछा कि वह कौन है, जिस पर उसने बताया कि वह कुंतीबाई, रविंद्र की पत्नी है। तांगा चालक ने पुनः पूछा कि वह वहाँ कैसे आई और आग कैसे लगी? इस पर महिला ने उत्तर दिया कि रात में जब वह पेशाब के लिए अपने घर से बाहर निकली थी, तब अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया, अपने घर ले गया, उसके साथ बलात्संग कारित किया और तत्पश्चात् उसे आग लगा दी। मृतका का पति भी वहाँ उपस्थित था। मृतका का पति तथा हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने गए और उसके बाद वह अपने घर लौट आया। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त बरामदा चारों ओर से ढका हुआ था और प्रवेश स्थल पर दरवाजे का चौखट लगा था, किंतु उसमें दरवाजे नहीं थे। छत की ऊँचाई लगभग 5 फीट थी और छत का एक कोना अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा था। उसने उसे कमरा बताया और कहा कि कमरे का आकार लगभग 7 फीट × 5 फीट था। उस पर खपरैल की छत थी। श्री ओट्टलवार ने इस साक्षी की विश्वसनीयता को इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर चुनौती दी कि उसके केस डायरी कथन (प्र.डी/1) में कुछ विरोधाभास हैं तथा उसने केस डायरी कथन में यह कहा था कि मृतका ने उसकी उपस्थिति में पुलिस के समक्ष भी ऐसा ही कथन किया था, किंतु न्यायालय में दिए गए कथन में उसने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मृत्युपूर्व कथन के संबंध में कोई बात नहीं कही, अतः उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। हम पाते हैं कि इस साक्षी के साक्ष्य में, जहाँ तक उसका संबंध मोहल्ले के लोगों के समक्ष मृतका द्वारा किए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन से है, कोई विरोधाभास नहीं है। जहाँ तक पुलिस के समक्ष किए गए पश्चातवर्ती मृत्युपूर्व कथन से संबंधित लोप का प्रश्न है, वह निश्चय ही इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से सिद्ध नहीं हुई। उसने स्पष्ट रूप से कथन दिया है कि प्रथम मृत्युपूर्व कथन के बाद वह घटनास्थल से चला गया था। अतः उसका यह कहना सही है कि उसे पुलिस के समक्ष किए गए पश्चातवर्ती मृत्युपूर्व कथन के बारे में जानकारी नहीं है। केवल इस आधार पर कि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने उस पश्चातवर्ती मृत्युपूर्व कथन का उल्लेख नहीं किया, जबकि उसने अपने धारा 161 के कथन में ऐसा कहा था, इस साक्षी के संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे विचार में, इस साक्षी की के अभिसाक्ष्य, जिसमें मृतका द्वारा ग्रामीणों के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन का उल्लेख है, अविकल बनी रहती है और उस अंश को विचारार्थ लिया जा सकता है; उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य को पुरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) ने भी इसी प्रकार से अभिकथन दिया। वह भी उसी मोहल्ले का निवासी था। उसने कहा कि उसने भी आग बुझाने में सहायता की। उसने स्पष्ट रूप से कथन दिया कि आग बुझाए जाने के बाद उन्होंने देखा कि अपीलार्थी के घर के बरामदे में एक महिला जली हुई अवस्था में पड़ी थी। तांगा चालक ने महिला से पूछा कि वह कौन है, जिस पर उसने उत्तर दिया कि वह महाराजिन (रविंद्र शर्मा की पत्नी) है। इसके बाद तांगा चालक ने पुनः पूछा कि वह वहाँ कैसे आई, जिस पर उसने बताया कि जब वह पेशाब के लिए अपने घर से बाहर निकली थी, तब अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया, अपने घर ले गया, उसके साथ बलात्संग कारित किया और तत्पश्चात् उसे आग लगा दी। उसने कथन दिया कि उक्त कथन मोहल्ले के अनेक व्यक्तियों के समक्ष किया गया था। श्री ओट्टलवार ने यह तर्क दिया कि हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) के अभिसाक्ष्य में कई विरोधाभास हैं। हमने उसके केस डायरी कथन (प्र.डी./2) के आलोक में उन विरोधाभासों का परीक्षण किया है। हम पाते हैं कि जिन विरोधाभासों की ओर श्री ओट्टलवार ने संकेत किया है, वे सारवान विरोधाभास नहीं हैं। वे केवल छोटी-छोटी भिन्नताएँ हैं, जो किसी व्यक्ति के कथन को दो अलग-अलग अवसरों पर दर्ज करने में स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं। ऐसे विरोधाभास स्वाभाविक हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति किसी एक घटना के संबंध में दो अलग-अलग समय पर एकदम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एक समान कथन नहीं दे सकता। हर्षवर्धन (अ.सा.-4) के अभिसाक्ष्य में पाई गई स्वाभाविक भिन्नताएँ उनके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनातीं।

हम पाते हैं कि जहाँ तक मृतका द्वारा किए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन का प्रश्न है, इस संबंध में उसके अभिसाक्ष्य पूर्णतः अविकल है। यदि हम गोपीराम चंद्र (अ.सा.-3) और हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) के अभिसाक्ष्य को साथ-साथ देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि वे मौखिक मृत्युपूर्व कथन के महत्वपूर्ण बिंदु पर एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं। दोनों उसी मोहल्ले के साक्षी हैं। उनके घर अपीलार्थी के घर के निकट स्थित हैं। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी और उनका आचरण भी स्वाभाविक प्रतीत होता है। यद्यपि हर्षवर्धन (अ.सा.-4) का लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया, तथापि बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य उजागर नहीं कर सका, जिसके आधार पर या तो उसकी मौखिक मृत्युपूर्व कथन से संबंधित कथन को अविश्वसनीय माना जा सके अथवा यह कहा जा सके कि उसने किसी दुर्भावना या अनुचित उद्देश्य से अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फँसाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अब हम लिखित मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी./5) की विश्वसनीयता पर विचार करेंगे।

(14) लिखित मृत्युपूर्व कथन सहायक उपनिरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) द्वारा दर्ज किया गया था। सुसंगत समय पर सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण

सिंह (अ.सा.-13) थाना सरकंडा में पदस्थ थे। उन्होंने कथन दिया कि घटना के दिन रविंद्र कुमार शर्मा (अ.सा.-12), जो मृतका के पति हैं, थाना आए और लिखित रिपोर्ट (प्र.पी./12) दर्ज कराई। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./12) पंजीबद्ध की गई। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् वे लगभग प्रातः 5.30 बजे घटनास्थल पहुँचे और वहाँ मृतका—कुंतीबाई, पत्नी रविंद्र कुमार शर्मा—का मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया। यह मृत्युपूर्व कथन दो साक्षियों, छत्रपाल (अ.सा.-1) तथा घनाराम (अ.सा.-10) की उपस्थिति में दर्ज किया गया। मृत्युपूर्व कथन प्रश्न–उत्तर के रूप में है। प्रश्न क्रमांक 1 से 7 अपीलार्थी एवं मृतका की पहचान तथा स्थान आदि से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 8 मृतका को लगी चोटों के कारण से संबंधित है। मृतका ने कथन दिया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग कारित किया और उसके शरीर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। उन्होंने यह भी कथन दिया कि मृत्युपूर्व कथन मुख्य आरक्षक तेजराम भास्कर की हस्तलिपि में, उनके निर्देश पर लिखा गया था। उन्होंने मृतका से यह पूछा कि क्या वह अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर कर सकती है, जिस पर उसने असमर्थता व्यक्त की। मृत्युपूर्व कथन के निचले भाग में उनके हस्ताक्षर अंकित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) श्री ओट्टलवार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि लिखित मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी./5) के दोनों साक्षी, अर्थात् छत्रपाल (अ.सा.-1) एवं घनाराम (अ.सा.-10), पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-

13) द्वारा दर्ज किए गए मृत्युपूर्व कथन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त मृत्युपूर्व कथन को केवल संबंधित पुलिस अधिकारी अर्थात् सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) के अभिसाक्ष्य के आधार पर ही सिद्ध माना गया है। हम उपर्युक्त तर्क में कोई सार नहीं पाते। विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि किसी पुलिस अधिकारी के अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी है अथवा इस आधार पर कि वह अभियोजन की सफलता में रुचि रखने वाला "हितबद्ध साक्षीगण" है। यद्यपि उसके अभिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच के पश्चात् उसके अभिसाक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वभावतः संभाव्य तथा पूर्णतः भरोसेमंद पाई जाती है और वह किसी विशेष घटना के संबंध में स्वाभाविक साक्षी प्रतीत होता है, तो उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है और उसके आधार पर कार्यवाही की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) श्री ओट्टलवार ने यह तर्क दिया कि कथित मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी./5) को सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) द्वारा दर्ज किए जाने के पश्चात् उन्होंने मृतका के चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र/मांग पत्र (प्र.पी./8) तैयार किया, किंतु उसके संबंधित खण्ड में यह उल्लेख नहीं किया कि मृतका को अपीलार्थी द्वारा आग लगाई गई थी अथवा उसने इस आशय का कोई मृत्युपूर्व कथन किया था। श्री ओट्टलवार के अनुसार यह लोप अभियोजन के लिए घातक

है। **पेड्डा नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [(1975) 4 एससीसी 153]** में, सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया था कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के संबंधित खण्ड में अभियुक्तों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों का विवरण नहीं था। उस मामले पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि—

"धारा 174 के अंतर्गत कार्यवाही का उद्देश्य मात्र यह पता लगाना होता है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में या अस्वाभाविक रूप से हुई है और यदि हाँ, तो मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। मृतक पर किस प्रकार हमला किया गया या किसने हमला किया अथवा किन परिस्थितियों में हमला किया गया —ये प्रश्न हमें धारा 174 के अंतर्गत कार्यवाही के क्षेत्र एवं दायरे से बाहर प्रतीत होते हैं। अतः इन परिस्थितियों में, न तो व्यवहार में और न ही विधि में, पुलिस के लिए इन विवरणों का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और यह भी कहा गया कि ऐसे लोप अभियोजन को न्यायालय से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। उपरोक्त सादृश्य वर्तमान प्रकरण में भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान मामले में सहायक उप निरीक्षक ने मांग पत्र (प्र.पी./8) में यह उल्लेख किया है कि आहत (अब मृत) को आग से अनेक जलने की चोटें आई हैं, चोटें शरीर के विभिन्न भागों पर हैं, अतः उसका परीक्षण कर रिपोर्ट दी जाए। चोट के मामलों में मांग पत्र का उद्देश्य मात्र यह होता है कि घायल को

चिकित्सकीय–विधिक परीक्षण हेतु भेजा जाए, ताकि उसे लगी चोट/चोटों की प्रकृति एवं कारण/कारणों का निर्धारण किया जा सके। संबंधित खण्ड में अधिकारी से अपेक्षा केवल इतनी होती है कि वह संभव सीमा तक चोटों का विवरण तथा शरीर पर उनकी स्थिति का उल्लेख करे, जिससे चिकित्सकीय परीक्षण सही दिशा में हो सके और पुलिस/विवेचना अधिकारी द्वारा देखी या अंकित कोई चोट परीक्षण से वंचित न रह जाए। पीड़िता के साथ किस प्रकार व्यवहार किया गया, किसने चोटें पहुँचाईं अथवा किन परिस्थितियों में चोटें लगीं—इन विवरणों का मांग पत्र में भरना विधिक रूप से आवश्यक नहीं है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मृतका के चिकित्सीय परीक्षण हेतु तैयार किए गए मांग पत्र (प्र.पी./8) में उक्त लोप के कारण इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) के परिसाक्ष्य पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) तत्पश्चात् श्री ओट्टलवार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृत्युपूर्व कथन सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) की हस्तलिपि में नहीं लिखा गया है। उनके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यह कथन उनके साथ उपस्थत आरक्षक तेजराम भास्कर की हस्तलिपि में लिखा गया था, अतः यह अभियोजन के लिए घातक है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि विधि की स्थिति का परीक्षण किया जाए, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 यह कहती है कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार

की किसी भी परिस्थिति के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, दिए गए कथन—चाहे वे लिखित हों या मौखिक—सुसंगत एवं ग्राह्य होते हैं। अतः धारा 32 के अंतर्गत मौखिक मृत्युपूर्व कथन पूर्णतः स्वीकार्य है। वर्तमान मामले में, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मृतका ने सहायक उप निरीक्षक इन्द्रनारायण सिंह (अ.सा.-13) के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया। उन्होंने प्रश्न एक-एक करके पूछे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को समझा, और तत्पश्चात् उन उत्तरों को अपने निर्देश पर आरक्षक द्वारा लिखवाया। जब विधि के अंतर्गत मौखिक मृत्युपूर्व कथन स्वीकार्य है, तब वह मृत्युपूर्व कथन, जिसे उसी समय तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में उतारा गया हो, केवल इस आधार पर अस्वीकार्य या असंगत नहीं ठहराया जा सकता, जब तक यह न दिखाया जाए कि मृत्युपूर्व कथन लेने वाले व्यक्ति द्वारा निर्देशित सही विवरण को लिखित कथन में अंकित नहीं किया गया है। अतः ऐसा लिखित मृत्युपूर्व कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के अंतर्गत पूर्णतः ग्राह्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) श्री ओट्टलवार ने यह भी तर्क दिया कि मृतका को 95% जलने की चोटें आई थीं, अतः वह प्रातः 5.30 बजे उक्त मृत्युपूर्व कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी। यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यह गोपीराम चंद्र (अ.सा.-3), हर्षवर्धन भोंसले (अ.सा.-4) के मौखिक अभिसाक्ष्य तथा डॉ. (श्रीमती)

अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) के परिसाक्ष्य के आलोक में टिक नहीं पाता। उपर्युक्त स्थानीय साक्षी अ.सा.-3 एवं अ.सा.-4 ने स्पष्ट रूप से कथन दिया है कि मौखिक मृत्युपूर्व कथन के समय मृतका बोल रही थी। यह समय प्रातः लगभग 5.15 बजे से कुछ मिनट पूर्व का रहा होगा, क्योंकि मृतका के पति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का समय 5.15 बजे है। इसके पश्चात् प्रातः 5.30 बजे लिखित मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया गया। तत्पश्चात् मृतका के चिकित्सीय परीक्षण हेतु मांग पत्र तैयार किया गया और डॉ. (श्रीमती) अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) द्वारा प्रातः 6.30 बजे मृतका का परीक्षण किया गया। डॉ. (श्रीमती) अंजली गुप्ता ने मृतका के शरीर पर उपर्युक्त जलने की चोटें पाई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी./8-क) में विशेष रूप से उल्लेख किया कि परीक्षण के समय मृतका सचेत अवस्था में थी, सामान्य रूप से बात कर रही थी तथा प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। उपर्युक्त साक्ष्य अप्रतिवादित हैं। अतः यह स्थापित हो जाता है कि मृतका सुबह के समय ग्रामीणों से बात करने के समय से लेकर प्रातः 6.30 बजे चिकित्सीय परीक्षण तक निरंतर सचेत अवस्था में थी। यदि इस अवधि के मध्य लिखित मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया गया, तो उसे मृतका की मानसिक दुर्बलता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) श्री ओट्टलवार ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका पर्याप्त समय तक जीवित रहने के बावजूद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मृत्युपूर्व कथन क्यों नहीं

दर्ज किया गया? प्र.पी./14 एक मांग पत्र है, जिसे विवेचना अधिकारी ने उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट को मृत्युपूर्व कथन दर्ज कराने के संबंध में लिखा था। इस आवेदन पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट देवांगन के नाम से एक पृष्ठांकन है, जिसमें उन्हें मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, संबंधित चिकित्सक डॉ. के.के. साओ (अ.सा.-14) का 9.00 बजे का पृष्ठांकन भी है कि मृतका कथन देने के लिए योग्य नहीं थी। डॉ. के.के. साओ (अ.सा.-14) ने कथन दिया कि मृतका को शासकीय चिकित्सालय में जलने के मामले के रूप में भर्ती किया गया था। उन्होंने दिनांक 15.2.91 को प्रातः 9.00 बजे उसका परीक्षण किया और पाया कि वह कथन देने के लिए सक्षम नहीं थी। इस तथ्य का उल्लेख आवेदन/मांग पत्र (प्र.पी./14) में किया गया। श्री देवांगन, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मृतका का परीक्षण करने के लिए उनसे मिले और उनके निरीक्षण के आधार पर उक्त पृष्ठांकन प्र.पी./14 में अंकित किया गया। यह स्पष्ट करता है कि पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दूसरा मृत्युपूर्व कथन दर्ज कराने के लिए सभी प्रयास किए, किन्तु प्रातः 9.00 बजे जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट चिकित्सालय पहुँचे और चिकित्सक से मृतका का परीक्षण करने का अनुरोध किया, उस समय मृतका की मानसिक स्थिति कथन देने योग्य नहीं पाई गई। चिकित्सक द्वारा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र मांग-पत्र पर अंकित किया गया, जिसके कारण मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) श्री ओट्टलवार ने यह भी तर्क दिया कि जब मृतका 9.00 बजे कथन देने के लिए सक्षम नहीं थी, तब वह प्रातः लगभग 11.15 बजे दूसरी बार डॉ. (श्रीमती) अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम कैसे हुई? हम यह ध्यान देते हैं कि इन दोनों परीक्षणों के बीच 2 घंटे से अधिक का अंतर था और यह स्पष्ट रूप से नकारा नहीं जा सकता कि मृतका 2 घंटे 15 मिनट में ठीक होकर डॉ. अंजली गुप्ता (अ.सा.-8) के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम न हुई हो। उस दौरान उसने अपने बच्चों की संख्या और अंतिम माहवारी की तिथि भी बताई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) **पुराण चंद बनाम हरियाणा, [(2010) 6 एससीसी 566]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि—"अधीनस्थ न्यायालयों को मृत्युपूर्व कथन से निपटते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माता प्रतिपरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होता, जो अभियुक्त के लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न करता है। केवल यह कहकर कि मृत्युपूर्व कथन मौजूद है, उस पर यांत्रिक रूप से भरोसा करना अत्यंत खतरनाक है। न्यायालय को मृत्युपूर्व कथन को सूक्ष्मता से परखना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कथन स्वेच्छा से, सत्यपूर्वक, सचेत अवस्था में **और** बिना किसी बाहरी प्रभाव (संबंधियों या जांच निकाय) के प्रेरित हुए किया गया है या नहीं, या इसे दर्ज करते समय कोई लापरवाही हुई है। यदि एक से अधिक

मृत्युपूर्व कथन मौजूद हों, तो उन कथनों में पाई जाने वाली आंतरिक विरोधाभास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह नहीं हो सकता कि सिर्फ वह मृत्युपूर्व कथन स्वीकार किया जाए जो केवल अभियोजन का समर्थन करता हो, जबकि अन्य निर्दोष कथनों को खारिज कर दिया जाए। ऐसा करना अत्यंत खतरनाक होगा। हालांकि, यदि मृत्युपूर्व कथन सभी परीक्षणों पर खरा उतरता है, तो अधीनस्थ न्यायालय उस पर विश्वास कर सकती हैं और उसे दोषसिद्धि का आधार बना सकती हैं। न्यायालय को सभी परिस्थितिजन्य तत्वों की विवेचना करनी चाहिए और स्वतंत्र निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मृत्युपूर्व कथन उचित ढंग से दर्ज किया गया था, स्वेच्छा से और सत्यपूर्वक था या नहीं। न्यायालय को ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दांडिक वाद व्यक्तिगत विशेषता रखता है। यदि सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि कथन सत्य है, किसी प्रकार के असत्य कथन के प्रयास से मुक्त है और संगत एवं सुसंगत है, तो कोई विधिक बाधा नहीं है कि इसे दोषसिद्धि के आधार पर स्वीकार किया जाए, भले ही उसके समर्थन में कोई अन्य पुष्टि न हो। इस प्रकार, **S** का मृत्युपूर्व कथन सभी परीक्षणों पर खरा उतरता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(22) इसके अतिरिक्त, **अतबीर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**, **[(2010) 9 एससीसी 1]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों के आधार पर 10 सिद्धांत अभिनिर्धारित किये गये हैं:

(**i**) मृत्युपूर्व कथन केवल आधार बन सकता है यदि यह न्यायालय को पूर्ण विश्वास प्रदान करता है।

(**ii**) न्यायालय को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि मृतका कथन देने के समय मानसिक रूप से सक्षम थी और यह कथन प्रशिक्षण, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**iii**) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि कथन सत्य और स्वेच्छा से किया गया, तो वह कोई अन्य संपुष्टि न होने पर भी दोषसिद्धि का आधार बना सकती है।

(**iv**) यह नियम कि मृत्युपूर्व कथन केवल सहायक साक्ष्य के साथ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, कठोर विधिक नियम नहीं है; सहायक साक्ष्य की आवश्यकता केवल सतर्कता का नियम है।

(**v**) यदि मृत्युपूर्व कथन संदिग्ध हो, तो उसे बिना सहायक साक्ष्य के स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(**vi**) यदि कथन में दुर्बलता है जैसे कि मृतका अचेत अवस्था में थी और कोई कथन नहीं कर सकती थी, तो यह दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

(**vii**) केवल इसलिए कि मृत्युपूर्व कथन में घटना का सभी विवरण नहीं है, उसे खारिज नहीं करना चाहिए।

(**viii**) यदि यह कथन संक्षिप्त भी हो, तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(**ix**) जब साक्षी संपुष्टि करता है कि मृतका कथन देने के लिए सक्षम और सचेत स्थिति में नहीं थी, तो चिकित्सकीय राय को अधिमान्यता नहीं दी जायेगी।

(**x**) यदि सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि कथन सत्य है, झूठे कथन के प्रयास से मुक्त है और संगत एवं सुसंगत है, तो कोई विधिक बाधा नहीं है कि इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जाए, भले ही कोई संपोषक साक्ष्य न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) हम ने इस प्रकरण में मृत्युपूर्व कथनों का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया। हमें दोनों मृत्युपूर्व कथनों में कोई दोष या दुर्बलता नहीं दिखाई देती। दोनों मृत्युपूर्व कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मृतका के साथ अपीलार्थी ने बलपूर्वक संभोग किया और तत्पश्चात् केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी।

(24) अब हम अपीलार्थी के आचरण का परीक्षण करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया, अपीलार्थी को भी जलने की चोटें लगीं, जो उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट (प्र.पी./7) से प्रमाणित हैं। यह देखा जाना है कि उसे ये चोटें कैसे लगीं। श्री ओट्टलवार ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने यह व्याख्या दी कि जब उसे ज्ञात हुआ कि आग उसके आवासीय घर के भाग तक फैल रही है, उसने घर बचाने का प्रयास किया और इसी प्रक्रिया में उसे चोटें लगीं। इस प्रकार का अपीलार्थी का आचरण अस्वाभाविक प्रतीत होता है और यह झूठा प्रतीत हो रहा है। सामान्य मानव स्वभाव में, यदि कोई व्यक्ति देखे कि उसके घर के बरामदे में कोई व्यक्ति जिवित अवस्था में जल रहा है, तो वह पहले उस व्यक्ति का जीवन बचाने का प्रयास करेगा, न कि अपने घर को बचाने जाएगा। इसके अलावा, जब आग का केंद्र बिंदु जली हुई मृतका थी, तो यदि आग उसके शरीर से बुझा दी जाती, तो आग आसपास के हिस्सों तक नहीं फैलती। यदि अपीलार्थी ने यह व्याख्या दी होती कि उसे मृतका का जीवन बचाने के दौरान चोटें लगीं, तो हम इसे स्वीकार कर सकते थे। किन्तु, अपीलार्थी द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत दिए गए कथन में दी गई व्याख्या स्वीकार्य नहीं है। यह एक अतिरिक्त परिस्थिति है, जो अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगाात्मक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) श्री ओट्टलवार ने अंतिम तर्क दिया कि मृतका के पति रविंद्र कुमार शर्मा (अ.सा.-12) पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उक्त तथ्यात्मक स्थिति से इंकार नहीं किया गया। लेकिन, हमारा यह मत है कि इससे मृतका द्वारा किए गए दोनों मृत्युपूर्व कथनों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन्हें हमने पहले ही सिद्ध माना है।

(26) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिलता। अतः यह अपील खारिज करने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधीश

सही/-
सुनिल कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu , Advocate